न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ० महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 12/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/146

निगरानीकार	**बनाम**	**गैरनिगरानीकार**
निर्मल जोशी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, जाति ब्राहम्ण, निवासी जोशियों का बास, बड़ू, तहसील परबतसर।		1. कमला पत्नि मुकेश सिंह, जाति दरोगा, निवासी बड़ू, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. मुकेश सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह, जाति दरोगा, निवासी बड़ू, तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 3. सुरेश पुत्र मोतिलाल जाति माली, निवासी बड़ू, हाल सरपंच ग्राम पंचायत समिति परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन । 4. छोटेलाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बड़ू, पंचायत समिति परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन 5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।

निगरानी अन्तर्गत धरा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत बड़ू, द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 व पट्टा संख्या 42 दिनांक 07.09.2017

–:निर्णयः– **दिनांक : 29.10.2025**

निगरानीकार की और से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः– निगरानीकार ग्राम बड़ू का स्थायी निवासी है। निगरानीकार ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बड़ू के सरपंच ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये कानून को ताक में रखकर पट्टे जारी किये है। जबकि राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत पट्टा बनाने की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, इस नियम के तहत आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मुतनाजा जगह का नक्शा स्वयं का शपथ पत्र व दो पड़ौसीयों के शपथ पत्र पेश करने पर पंचायत द्वारा सर्वप्रथम मौके की जाँच हेतु तीन सदस्यों की कमेठी का गठन किया जाता है। जो अपनी मौका रिपोर्ट बाद जाँच पंचायत कार्यालय में पेश करते है, उसके बाद पंचायत द्वारा 15 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया जाता है। जिसमें उल्लेख किया जाता है कि इन पट्टो के बनाने के संबंध में किसी को ऐतराज हो तो वो 15 दिनों में पेश कर सकते है तथा आपत्ति का नोटिस पंचायत के नोटिस बोर्ड व आम गुवाड़ में रूबरू मौतबीर चस्पा किया जाता है। तथा [illegible] नोटिस अखबार के जरिये भी पंचायत द्वारा जारी किया जाता है, उसके [illegible] के पड़ौसी बुजुर्ग व्यक्तियों के बयान दर्ज किये जाते है, इसके बाद [illegible] की [illegible] दस्तावेजात की सही रिपोर्ट व जाँच आने पर नियमानुसार पट्टा फीस लेकर पट्टा जारी किया जाता है, [illegible] इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

पट्टों को बनाने में ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी तथा यह जानते हुये की ये सार्वजनिक चौक है, इसके बावजुद अवैध रूप से पट्टे जारी कर दिये गये, ग्राम पंचायत बडू की पंचायत समिति परबतसर में पट्टा नम्बर 27 के बाबत नकलें मांगने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर ने दिनांक 07.05.2025 को पट्टे की प्रति नहीं होने का उल्लेख किया है।

अतः निगरानी निगरानीकार पेश कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बडू द्वारा पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 कमला के नाम से जारी व पट्टा संख्या 42 दिनांक 07.09.2017 मुकेश सिंह के नाम से जारी पट्टों को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/433 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के पत्रांक कोर्ट/2025/648 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उक्त रिपोर्ट के साथ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1976 में जिस भूमि का पट्टा श्री रामस्वरूप पुत्र श्री पाबूदान निवासी बडू के नाम से जारी करना बताया गया है उसी भूमि का वर्ष 2017 में श्री रामस्वरूप के पुत्र श्री मुकेश सिंह के नाम से तथा वर्ष 2021 में रामस्वरूप की की पुत्र वधु श्रीमति कमला पत्नि मुकेश सिंह के नाम से पट्टा जारी किया गया हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1976 के पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं तथा वर्ष 1976 के पट्टे की वैधता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत बडू द्वारा उक्त भूमि पर ही वर्ष 2017 तथा 2021 में जारी पट्टे नियमानुसार न्यायोचित नहीं है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डीडवाना–कुचामन द्वारा की गई जाँच अनुसार श्रीमति कमला पत्नि मुकेश सिंह के नाम से पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) पुराने के गृहों के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया हैं जबकि जाँच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मौके पर खाली पाई गई साथ ही पट्टा पत्रावली के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा 01 माह का आपत्ति प्राप्ति का नोटिस संख्या 20 दिनांक 20.09.2021 जारी किया गया था, लेकिन पट्टा आपत्ति प्राप्त होने की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही जारी कर दिया गया, जिससे प्रक्रियात्मक रूप से भी उक्त पट्टा जारी करना संदेहास्प्रद हैं। वर्ष 2017 में मुकेश सिंह के नाम से जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 07.09.2017 की पत्रावली में संलग्न आपत्ति नोटिस जारी करने की ना तो कोई तिथि अंकित हैं और ना ही आपत्ति नोटिस पर जारी कर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त पट्टे के संबंध में आवेदन प्राप्ति से लेकर मौका निरीक्षण कमेटी गठित करना, कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करना आदि एक ही दिवस में दिनांक 05.07.2017 को किया गया हैं, अतः प्रक्रियात्मक रूप से उक्त पट्टा जारी करना भी संदेहास्प्रद हैं। वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बडू द्वारा पीसीसी ब्लॉक मय नाली निर्माण मुकेश [illegible] घर के सामने वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 174172 दिनांक 18.12.2019 को [illegible] बडू द्वारा राज्य वित्त आयोग पंचम मद से राशि 98000/– की स्वीकृति [illegible] की गई तथा वर्ष 2021 में उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

स्थान का पट्टा श्रीमति कमला देवी पत्नि मुकेश सिंह के नाम से जारी किया गया हैं, जो कि पट्टे के संबंध में संदेह प्रकट करता है।

अतः प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा संदेहास्प्रद है तथा पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा संदेहास्प्रद है। अतः ग्राम पंचायत बडू द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 व पट्टा संख्या 42 दिनांक 07.09.2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29.10.2025

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:53 IST
Reason: SelfAttested